RAJYA SABHA

Tuesday, the 18th March, 1997/27th Phalguna, 1918 (Saka)

The House met at eleven of the Clock, Mr. Chairman *in the Chair.*

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

उत्तर प्रदेश में अवैध चिकित्सा संस्थाओं का चलाया जाना

*321. **श्री ईश दत्त यादव:**†
श्री राम गोपाल यादव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश में अवैध चिकित्सा संस्थाएं धड़ल्ले से चलाई जा रही हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य में ऐसी कितनी संस्थाएं हैं और ये संस्थाएं कब से चल रही हैं;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य में चल रही अवैध चिकित्सा संस्थाओं को राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है, जैसाकि दिनांक 9 फरवरी, 1997 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री सलीम इकबाल शेरवानी): (क) से (घ) उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि इस मामले को गंभीर समझा गया है और महानिदेशक, चिकित्सा और स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस संबंध में जांच-पड़ताल करने हेतु अनुदेश दिए गए हैं। अगली कार्रवाई जांच पड़ताल के परिणाम पर निर्भर करेगी।

श्री ईश दत्त यादव: मान्यवर सभापति जी, उत्तर प्रदेश में मेरी जानकारी में अब तक कोई प्राइवेट मैडीकल कॉलेज नहीं रहा है। वर्तमान रक्षा मंत्री जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो उन्होंने एक नीति निर्धारित की कि उत्तर प्रदेश में भी भारत सरकार के नियमों के अनुसार, और मेडीकल काउंसिल के नियमों के अनुसार प्राइवेट कॉलेजिस खोले जाएंगे लेकिन मेरी जानकारी में अब तक कोई कॉलेज नहीं खुला है। परन्तु उत्तर प्रदेश के अंदर कई अवैध मैडीकल कॉलेज हैं जिनको न मैडिकल काउंसिल से परमिशन मिली है और न भारत सरकार से अनुमति मिली है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिनको रिकमेंड नहीं किया, ऐसी संस्थाएं वैध ढंग से चल रही हैं। इनमें जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनसे बहुत अधिक रुपया लिया जाता है और उनके भविष्य तथा जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है क्योंकि वह किसी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकते, न ही उन्हें कोई प्रमाणपत्र मिलता है। इसलिए मैंने मंत्री जी से यह जानना चाहा था। मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि इसमें उन्होंने प्रॉम्प्ट ऐक्शन लिया है लेकिन मेरे प्रश्न का जो भाग "ख" और "ग" है, उसका उत्तर उन्होंने नहीं दिया है इसलिए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा, मैंने पूछा था कि राज्य में ऐसी कितनी संस्थाएं हैं और यह संस्थाएं कब से चल रही हैं, मंत्री जी ने इसका उत्तर नहीं दिया है। मैं इसका उत्तर चाहूंगा और दूसरा यह कि क्या यह सच है कि राज्य में चल रही अवैध शिक्षा संस्थाओं को राज्य सरकार के जो उच्च अधिकारी हैं, उनका संरक्षण प्राप्त है? मान्यवर, राज्य सरकार के मैडिकल फैकलिटी के एक सचिव हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि प्रदेश के अंदर इस तरह के अवैध कालेज न चलें किंतु मेरी जानकारी में वह स्वयं इस तरह के तीन-चार कॉलेज चला रहे हैं। क्या मंत्री जी इस संबंध में इस माननीय सदन को जानकारी देंगे कि इस तरह की कितनी संस्थाएं उत्तर प्रदेश में चल रही हैं और कौन-कौन लोग इन संस्थाओं को चला रहे हैं?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी: महोदय, हमारे पास जो उत्तर प्रदेश से सूचना मिली है, उसके हिसाब से तीन मैडिकल कॉलेज ऐसे हैं जिनकी सूचना हमारे पास आई है कि वह इस तरीके से चल रहे हैं। एक रूरल मैडिकल कॉलेज सीतापुर में है, एक राजीव गांधी कॉलेज अलीगढ़ में और एक जाकिर हुसैन कॉलेज अलीगढ़ में है। इसमें होता यह है कि हमारे कुछ नियम होते हैं जिनके जरिये हम उसकी इजाजत देते हैं। उसमें अगर कोई भी मैडिकल कॉलेज हमारे पास रिकग्नीशन के लिए आता है तो पहले हम उसमें गवर्नमेंट से ऐसेंशैलिटी सर्टीफिकेट मांगते हैं, यूनीवर्सिटी का ऐफीलिएशन मांगते हैं और सारे कागज़ात देखते हैं कि उनके पास 25 एकड़ जमीन है या नहीं जिसकी उन्हें जरूरत है। उसके बाद मैडिकल काउंसिल आफ इंडिया की टीम वहां जाती है, उसकी इंस्पैक्शन करती है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देती है।

†सभा में यह प्रश्न श्री ईश दत्त यादव पूछा गया।

फिर उस रिपोर्ट के आधार पर ही हम उसको रिकग्नीशन देते हैं। दिक्कत हमारे सामने यह आती है कि अगर कोई इल्लीगल कॉलेज चल रहा है और उसकी अगर कार्यवाही भी आप करना चाहते हैं तो सिर्फ दस हजार रुपये जुर्माना लगता है। इस दस हजार रुपये से कुछ होता नहीं है। इसके ऊपर यहां पर एक मैटर पैंडिंग पड़ा हुआ है जिसमें यह सजैशन था, यूनीवर्सिटी ग्रान्ट कमीशन ने बनाया था,—the Bill is yet to be taken into consideration—

जिसमें हमने कहा था कि कम से कम 6 महीने की सजा ऐसे लोगों को होनी चाहिए जो बगैर इजाजत के लड़कों की जिन्दगी के साथ खेलते हैं और उनके ऊपर एक लाख रुपये फाइन होना चाहिए जो दस लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है। तो जब तक यह कानून लागू नहीं होगा तब तक यह चीजें होती रहेंगी और हमारे पास इस तरह का कोई औजार नहीं है। हम स्टेट गवर्नमेंट को लिखते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से कहते हैं कि इनको डिरिकोग्नाइज कीजिए, ऐक्शन लीजिए, डिस्ट्रिक्ट मैजीस्ट्रेट के जरिये उनकी पकड़-धकड़ कीजिए, एडवरटाइजमेंट निकालिये ताकि बच्चों को पता चले कि उनका एडमिशन इल्लीगल कालेज में हुआ है। यह सारी कार्यवाही हम लोग करते हैं।

श्री ईश दत्त यादव: मान्यवर, पूरे देश में इलेक्टरो होम्योपैथिक कालेजों को कहीं भी मान्यता प्राप्त नहीं है और भारत सरकार ने भी उनको मान्यता नहीं दी है। कहीं भी मान्यता नहीं मिली हुई है। 9 फरवरी को "दैनिक जागरण" में यह समाचार छपा था जिसका मैंने अपने प्रश्न में रेफरेंस दिया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि यह जो "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ था कि हेल्थ डिपार्टमेंट के एक सैक्रेटरी हैं, मैडिकल फैकल्टी के एक सैक्रेटरी हैं जो खुद इस तरह की संस्थाओं को चला रहे हैं। क्या उन संस्थाओं की जांच के बारे में आपने कोई आदेश दिया है या नहीं और आपने पूरे प्रदेश में इस तरह की संस्थाओं की जांच के लिए कब आदेश दिया और कब तक उसकी रिपोर्ट आ जाने की संभावना है?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी: सर, यह जो माननीय सदस्य ने कहा, यह चीज़े हाई कोर्ट में भी है और आज उस पर बहस हो रही है। हम लोगों ने यह कदम उठाया है। एक अफसर जिसका आप नाम ले रहे है जिनकी सपोर्ट से यह इल्लीगल इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, उनको हटाया गया था। फिर वह रिइंस्टेट हुए, फिर उनके ऊपर कोई कार्यवाही की जा रही है। हमें उत्तर प्रदेश सरकार से सूचना मिली है कि कलक्टर को फिर से आदेश दे दिये गये हैं कि यह जो इल्लीगल इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। जहां तक इलेक्टरो होम्योपैथिक सिस्टम की बात है उसमें 1993 में हमारे जो सैक्रेटरी थे उनको आर्डर दिया गया जिसमें यह कहा गया कि इसको एग्जामिन करें। उन्होंने उस समय यह पाया था कि यह जो सिस्टम है हमारे मुल्क में रिकोग्नाइज्ड नहीं है। जो लोग चाहते हैं कि हमारे मुल्क में यह रिकोग्नाइज्ड हो, उनके पूरे आंकड़े उनको देने होंगे। जब तक साइंटिफिक पेपर्स नहीं आएंगे, पूरे आंकड़े नहीं आएंगे, जब तक साइंटिफिक पेपर्स नहीं आएंगे, हमारे लिए किसी नये सिस्टम को रिकोग्नाइज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उनको कहा गया है कि जो पेपर्स अब तक हमें दिये गये हैं, उनके बेसेज पर हम डिसिज़न रिकोग्नाइज्ड करने का नहीं ले पाए हैं। उनको हमने यह भी कहा था कि अगर वह रिकोग्नाईज कराना चाहते हैं तो अपनी सपोर्ट में और पेपर दाखिल करें। हम आज भी खुले हुए हैं। जो भी डाकुमेंट या आंकड़े इस सिस्टम की सपोर्ट करते हैं वह हमें दें। यह सिस्टम ओरिजिनेट हुआ था नाईंटीथ सैंचुरी में इटली और जर्मनी में और उसके बाद कोई सपोर्टिंग डाकुमेंट नहीं है जिसके बेसेज पर हम डिसिज़न ले पाएं। मुझे एक डैलीगेशन भी मिला था। मैंने उसे यह कहा था कि आप सारे सपोर्टिंग डाकुमेंट भेजिए, हम इसको फिर से एग्जामिन करेंगे और अगर इस सिस्टम में कोई दम है तो हम इस सिस्टम को रिकोग्नाइज करने के प्रोसेस में लाएंगे।

श्री राम गोपाल यादव: श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उससे एक नयी बात और सामने आई कि जो फर्जी मैडिकल कालेज चल रहे हैं उनमें दो कालेज ऐसे हैं जिनमें हमारे देश के दो सम्मानित नेताओं का नाम जोड़ दिया है फर्जी काम करने वाले लोगों ने। कानून यह है कि किसी भी व्यक्ति के नाम पर संस्था उस व्यक्ति से जो जुड़ी हुई है और संस्थाएं जैसे राजीव जी के नाम पर और ज़ाकिर हुसैन के नाम पर संस्थाएं है, कोई भी आदमी किसी व्यक्ति के नाम पर संस्था नहीं खोल सकता। इस कानून का भी उल्लंघन हुआ है इन संस्थाओं के ज़रिये। दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम आता है "आंखों देखी" इस कार्यक्रम में सारे लोगों ने देखा होगा जिसमें इन फर्जी मेडिकल कालेज के छात्रों और व्यवस्थापकों के बीच में सीधा डायलॉग दिखाया गया। जब यह टेलीकास्ट हुआ तो सारे देश ने देखा बच्चों को रोते हुए और यह कहते हुए कि उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें पता ही नहीं था कि यह

संस्था मान्यता प्राप्त नहीं है। उनसे लाखों रुपये फीस के रूप में लिये जा रहे हैं। यह जो फौजदारी है तरह-तरह के तमाम कानून हैं, 10 हजार रुपये जुर्माना हो सकता है इसके बावजूद भी तमाम इंडियन पिनल कोड की, पी०आर०पी०सी० की धाराओं का उल्लंघन यह लोग कर रहे हैं, फर्जी संस्थाएं चला रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि और धाराओं के अंतर्गत इन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। उस संबंध में क्या उत्तर प्रदेश की सरकार को यहां से कोई निर्देश दिया जायेगा? क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने जो जांच प्रारंभ की है, उसमें अभी तक कोई प्रगति की है? अगर की है तो उस जांच की रिपोर्ट कब तक आ जायेगी? इन सारी चीजों से सदन को अवगत कराने की कृपा करें।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी: सर, इस तरह की कोई भी बात जब हम लोगों की नजर में आती है तो उस पर फौरन कार्यवाही की जाती है। जैसेकि मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता है कि राजीव गांधी रूरल मेडीकल कॉलेज, सीतापुर के नाम से जो एक मेडीकल कॉलेज शुरू किया गया था, यह 1994 में शुरू हुआ था, उस के बाद फौरन इस केस पर स्टेट गवर्नमेंट के साथ विचार किया गया और उन्हें कहा कि आप इसकी पब्लिसिटी कीजिए—अखबारों में इश्तहार कीजिए कि यह रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, स्टूडेंट्स को आगाह कीजिए कि यह रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट को यह भी कहा गया कि आप कैसर्ड यूनिवर्सिटी को बताइये कि यह रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, इसलिए उसे एफिलिएशन न दे। इस के साथ-साथ उत्तर प्रदेश सरकार से यह कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के थ्रू उन पर कार्यवाही की जाए। उसके बाद हमें कोई खबर नहीं मिली कि इस में उन्होंने क्या किया क्योंकि मेनली यह मैटर स्टेट गवर्नमेंट्स डील करती है। मगर चूंकि यह बहुत सीरियस मैटर है, इसलिए मैं माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि "विद इन ए वीक" यह जितने कॉलेज है उन पर क्या कार्यवाही की है और ये किस पोजीशन में है, इसको हम देखेंगे। महोदय, जो जाकिर हुसैन कॉलेज अलीगढ़ है, उन्होंने इश्तहार दिया था तो उस के बाद हम ने फौरन कार्यवाही की और उस के बाद उन्होंने न कोई एडमीशन लिया है, न उसमें कोई इंमेक्शन की मांग की है। तो वह वहीं-का-वहीं रुक गया है। मगर यह जो सीतापुर में है, इसके बारे में हमें सूचना जरूर मिली है कि इसमें कुछ लड़के एडमिट हुए है और इस में स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर सिर्फ प्रेशर ही नहीं बल्कि उन से एक "फोली-अप" रिपोर्ट भी मंगाकर रखूंगा और माननीय सदस्य को उससे सूचित करूंगा कि हम लोगों ने क्या कार्यवाही की है और क्या हम करने जा रहे हैं?

श्री राजनाथ सिंह "सूर्या": माध्यवर, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उसमें उन्होंने यह स्वीकार किया है कि एक शिकायत उस बारे में प्राप्त हुई है कि स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी की देखरेख में या उन के संरक्षण में इस प्रकार का कोई कार्य चलाया जा रहा था और उनको हटाने के आदेश भी दे दिए गए हैं। महोदय, उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग के बारे में पिछले कुछ वर्षों से अनेक प्रकार की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और शायद आप को यह ध्यान होगा कि सी०बी०आई० ने कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाने की बात भी कही है। मैं उस प्रसंग को यहां विस्तार में नहीं ले जाना चाहता। साथ ही आप के ध्यान में यह बात भी आई होगी कि कुछ राजनीतिक नेताओं के उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडीकल कॉलेज खोलने के बारे में समय-समय पर चर्चा भी की गयी है। तो यह जो चर्चाएं हो रही है, उन में जो अधिकारियों की सांठ-गांठ है, इसके कारण जो स्थिति उत्पन्न हो रही है और छात्रों के भाग्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है।, उसमें आप कहते है कि केवल 10 हजार रुपए जुर्माना करने से अधिक कोई अधिकार नहीं है। महोदय, आई०पी०सी० की ऐसी तमाम धाराएं है जिन का उपयोग हो सकता है। तो क्या आपको इस बात की कोई जानकारी है कि इन का उपयोग राजनीतिक हस्तक्षेप के कारण नहीं हो रहा है?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी: सभापति जी, मुझे ऐसी कोई जानकारी तो नहीं है, मगर इस के दो पहलू है। एक तो इंडियन मेडिकल कॉउंसिल एक्ट में यह है कि उन पर 10 हजार रुपए का जुर्माना कर सकते है। दूसरे आप ने जो आई०पी०सी० का सवाल उठाया, वह तो स्टेट गवर्नमेंट का अधिकार है। वह उस में एक्शन ले सकते है।

श्री राजनाथ सिंह "सूर्या": गाजियाबाद में क्या-क्या हो रहा है, उसके बारे में तो आप सभी को मालूम है।

श्री सलीम इकबाल शेरवानी: मेडीकल कॉलेज खोलने का एक बड़ा सेट प्रोसीजर है और हम उस प्रोसीजर के हिसाब से चलते है। अब उस में स्टेट गवर्नमेंट्स को एसेंसियल सर्टिफिकेट देना पड़ता है, यूनिवर्सिटीज को एफिलिएशन देना पड़ता है और जमीन के पेपर्स तैयार करने पड़ते है। तब उस बेसिस पर तब मेडीकल कॉलेज खोलने की परमीशन देते है। अब किस को परमीशन मिलता है और कौन क्या करता है, यह तो/

स्टेट गवर्नमेंट को देख कर हमें जवाब देना पड़ता है। मगर सभापति महोदय, मैं भी इस बात से संतुष्ट नहीं हूं कि यह जो 10 हजार रुपये का फाइन है, इसके कोई मायने नहीं होते हैं क्योंकि कोई भी सजा मैनेजमेंट के ऊपर नहीं होती है बल्कि वहां के स्टूडेंट्स उस से सफर करते हैं तो हमें कोई भी ऐसा लैजिसलेशन लाना चाहिए और ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कि ये लोग जो स्टूडेंट्स को बहकाकर कॉलेजेज में एडमीशन दे रहे हैं, इनके ऊपर सख्त-से-सख्त कार्यवाही हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें इस एक्ट में जो पड़ा हुआ है, उस में कम-से-कम 10 लाख रुपये फाइन और 6 महीने की सजा का प्रावधान करना होगा अन्यथा इन चीजों को रोकना बड़ा मुश्किल होगा।

श्री राजनाथ सिंह "सूर्या": क्या आप ऐसा एक्ट ला रहे हैं?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी: जी, हाँ।

SHRI S.B. CHAVAN: Sir, from the reply of the hon. Minister it is very obvious that he is very sympathetic in regularising the whole thing. At least that is the impression that I get from the fact that they should have so much of land, they must do this and they must do that. First of all, I would like to know from the hon. Minister the number of colleges where the students have completed their course of five years and have gone out. If the affiliation is given by a university, are they allowed to practise? I would like to know from the Minister, if they are practising, whether there is any report of any mishap taking place because of lack of proper education in medical faculties. I would also like to know whether these students are allowed to practise in that area or not. There is one more thing. That is the involvement of the Secretary of the Department. He seems to be involved. That is how it is being alleged. If that is so, why don't you take action against the officer who is, in fact, involved in this. I am not aware whether he is involved or not. These are the three or four questions on which I would like to have some information.

SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI: Sir, it is not a question of having a sympathetic attitude. There are certain guidelines on which we give recognition to a medical college. Now the guidelines are that they must have an essentiality certificate from that particular State Government; they should have an affiliation certificate from a university; they must have 25 acres of land so that they can apply for permission for a medical college. It is not a question of sympathy. These are the guidelines laid down by the Medical Council of India and we can even take into consideration whether they can open a medical college or not. After the students pass from the medical colleges, they are registered by the Medical Council of India and after that they are allowed to practise or they can join any service, as they like. According to the Indian Medical Council Act and MCI norms, we are bound by those guidelines. We cannot go beyond those guidelines because MCI is an autonomous body. The only thing that we closely monitor is whether they have met those conditions which are laid down, or not.

Regarding students who pass out, every student, if he is passing out from a recognised medical college, is registered by the Medical Council of India as a doctor and then he is allowed to practise.

SHRI S.B. CHAVAN: Is he allowed to practise?

SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI: He is allowed to practise or go to a hospital and take up a job.

SHRI MAHESHWAR SINGH: That is about allopathy. What about homoeopathy?

श्री मोहम्मद आज़म खान: चेयरमेन सर, यह सही है शिकायत फर्जी मेडीकल कालेजों की, लेकिन उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, जहां पिछली सरकार ने प्राइवेट कालेजों के खोलने का कैबिनेट डिसीजन लिया, साऊथ स्टेटस में ऐसे कई मेडीकल कालेज चलते हैं प्राइवेट और बड़ी कामयाबी से चलते हैं, उत्तर प्रदेश में यह प्रोब्लम है कि फर्जी मेडीकल कालेज खुल रहे हैं, इसकी वजह क्या है कि कई साल हो गए हैं उत्तर प्रदेश सरकार को तय किए हुए कि प्राइवेट मेडीकल कालेज खुलने

चाहिएं, लेकिन इतना सख्त उनका प्रोसीजर है और इतने परेशान किए जाते हैं कि एक भी मेडीकल कालेज जेन्यून नहीं खुल सका है। तो मंत्री जी क्या यह बताएंगे, उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का हिस्सा है, जैसा अभी सवाल हुआ ऐसे स्टुडेंटस और ऐसे कॉलेजों के बारे में, आप क्या फैसला लेंगे जहां चार साल, पांच साल पूरे हो गए हैं? उत्तर प्रदेश में ऐसे कई इंजीनियरिंग कालेज हैं, जिनको पोलिटिकल रिकोगनिशन मिली। पहले कॉलेज खोल लिए गए, स्टुडेंटस ने अपने कोर्स पूरे कर लिए, जब उनके कोर्स के साल पूरे हो गए तो उनको रिकोगनिशन मिल गई। दूसरे प्रदेशों में ऐसे ही मेडीकल कालेज खोले गए और स्टेट गवर्नमेंट ने सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दाखिल करने के लिए एलाऊ किया, उत्तर प्रदेश में भी ऐसा तरीका है कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों को दाखिल करके उन मेडीकल कालेजों को चलाया जा सकता है। साऊथ स्टेट्स में ऐसे बहुत से मेडीकल कालेज चल रहे है और देश की सेवा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकारी मेडीकल कालेज कितने हैं, वह तो आपको मालूम ही है। देश का यह सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा यहां गरीबी है और प्राइवेट मेडीकल कालेज के नाम पर यहां कुछ नहीं है। तो क्या उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडीकल कालेज खुलें, उनको इसकी इजाजत मिले, कम से कम उन्हें परेशान किया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था बन पाएगी ताकि यहां ईलाज हो सके और लोगों को राहत मिल सके?

श्री सलीम इकबाल शेरवानी: सर, कानून तो पूरे देश के लिए एक है। अगर साऊथ में खुल सकते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी खुल सकते हैं उत्तर प्रदेश में इस वक्त सिर्फ दो प्राइवेट मेडीकल कालेज हैं जो रिकोगनाइज्ड हैं और 9 गवर्नमेंट के मेडीकल कालेज हैं। इधर कुछ अर्से से पिछले साल भर में कुछ और एप्लीकेशन्स आई हैं उत्तर प्रदेश में प्राइवेट मेडीकल कालेज की, जो देखी जा रही हैं। उनसे कंडीशन्स भी सारी कही गई है कि वह मीट करें और उसके बाद वह प्रोसेस में डाली जाएंगी। सवाल यह है कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई रुकावट नहीं होती है। प्राइवेट मेडीकल कालेज जो लोग लगाना चाहते हैं, अगर वे कंडीशन्स मीट करते हैं तो कोई वजह नहीं है कि उनको इजाजत न दी जाए और यह जो असेसियलिटि सर्टिफिकेट प्राइवेट मेडीकोज के पास होना चाहिए वह तो स्टेट गवर्नमेंट देती है। जब स्टेट गवर्नमेंट असेसियलिटि सर्टिफिकेट दे देती है, यूनिवर्सिटी उसका एफिलिएशन दे देती है, लोगों के पास इतना पैसा होता है, जमीन होती है या जमीन पैसे से 25 एकड़ ले लेते हैं और अपनी एक गारंटी एमाउण्ट दे देते हैं, तो हमारी तरफ से तो जरा सी भी रुकावट नहीं होती है मेडीकल कालेज खोलने में।

322[The Questioner (Shri Ahmed Patel) was absent. For answer Vide Col-30 infra.]*

323.[The Questioner (Dr. Y. Laxmi Prasad) was absent. For answer Vide Col, 31 infra.]*

Dual policy towards scientific and non-scientific staff of ICMR in assessment and promotion rules

*324. SHRI NILOTPAL BASU: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the ICMR has a dual policy towards assessment and promotion rules of its scientific and non-scientific saff;

(b) whether it is also a fact that such a dual policy exists only with respect to ICMR as distinct from other research establishments like CSIR and DRDO etc.;

(c) if so, whether or not, such a policy adversely affects the morale of the non-scientific staff and the administrative functioning of the laboratories; and

(d) if so, by when such a policy will be rectified?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SALEEM IQBAL SHERVANI): (a) to (d) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The ICMR has three categories of employees viz. Scientific, Technical and Administrative.

Scientists are governed by the ICMR Research Cadre Rules which provide for merit promotions on the basis of five-yearly assessment. This is based on the Flexible Complementing Scheme as applicable to other scientific organisations like Council of Scientific & Industrial Research (CSIR), Defence Research & Development Organisation (DRDO) etc.